प्रेषक,

**मनोज कुमार सिंह,**
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

**महानिदेशक,**
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1** **लखनऊः दिनांक 13 नवम्बर, 2024**

**विषयः-**वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेजों यथा-आगरा, झांसी, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज तथा गोरखपुर एंव हृदय रोग संस्थान, कानपुर एंव जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर में ई-हास्पिटल प्रणाली के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2024-25/441, दिनांक 01.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों यथा-आगरा, झांसी, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज तथा गोरखपुर एंव हृदय रोग संस्थान, कानपुर एंव जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर में ई-हास्पिटल प्रणाली के संचालनार्थ मैन पावर हेतु रू0 4319345/- एवं ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु रू0 17832816/- इस प्रकार कुल रू0 22152161/- का भुगतान मे0 इन्स्प्रा इण्टर प्राइजेज लि0 लखनऊ को अनुबन्ध की अवधि के अंतर्गत दिनांक 01.04.2024 से 30.06.2024 तक की अवधि के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 4210-03-105-15-राजकीय मेडिकल कालेजों में हास्पिटल मैनजेमेण्ट सिस्टम की स्थापना 46-कम्प्यूर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष कुल रू0 22152161/- की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **राजकीय मेडिकल कालेजों यथा-आगरा, झांसी, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज तथा गोरखपुर एंव हृदय रोग संस्थान, कानपुर एंव जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर में ई-हास्पिटल प्रणाली के संचालनार्थ** वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 4210-03-105-15-राजकीय मेडिकल कालेजों में हास्पिटल मैनजेमेण्ट सिस्टम की स्थापना 46-कम्प्यूर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष मे0 इन्स्प्रा इण्टर प्राइजेज लि0 लखनऊ को अनुबन्ध की अवधि के अंतर्गत दिनांक 01.04.2024 से 30.06.2024 तक की अवधि के लिए भुगतान हेतु लम्बित देयता कुल **रू0 22152161/- (रू0 दो करोड़ इक्कीस लाख बावन हजार एक सौ इकसठ मात्र)** की धनराशि

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

**नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों**

1. महानिदेशक द्वारा फर्म के कार्यो की गुणवत्ता एंव संचालन के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो लेगें।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
4. महानिदेशक/ प्रधानाचार्य /निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**3-** इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,21,52,161 ( रुपये दो करोड़ इक्कीस लाख बावन हजार एक सौ इकसठ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031051500 राजकीय मेडिकल कालेजों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना **मानक मद** 46 कम्प्यूटर हार्डवेयरसाफ्टवेयर का क्रय/ के नामे डाला जायेगा।

**4-** यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

**मनोज कुमार सिंह**
संयुक्त सचिव।

**संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, यथा-आगरा, झांसी, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर।
4. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर एंव जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, यथा-आगरा , झांसी , कानपुर, मेरठ , प्रयागराज, गोरखपुर।
6. वित्त नियंत्रक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर एंव जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा , झांसी , कानपुर , मेरठ , प्रयागराज तथा गोरखपुर, कानपुर
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
**मनोज कुमार सिंह**
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।